न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 04/2012 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2012/00099

1. सेवाराम पुत्र श्री ठाकरराम जाति बाजीगर निवासी चक 2 एस एस एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. कालोदेवी बेवाह भीराराम उर्फ बीराराम निवासी निवासी चक 2 एस एस एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. कालूराम पुत्र भीराराम उर्फ बीराराम निवासी निवासी चक 2 एस एस एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. बलविन्द्र पुत्र भीराराम उर्फ बीराराम निवासी निवासी चक 2 एस एस एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
5. विमला पुत्री भीराराम उर्फ बीराराम निवासी निवासी चक 2 एस एस एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. धम्मोबाई पत्नी श्यामलाल जाति बाजीगर निवासी वार्ड नम्बर 12, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार खाजुवाला जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नरसाराम जाखड़ — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री जगदीश शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 02.11.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 03.08.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 2 एस एस एम के मुरब्बा नम्बर 88/44 तादादी 25 बीघा दानाराम पुत्र सुवाराम रेगर को भूमिहीन के रूप में पुख्ता आंवटन किया गया था। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा समस्त किश्ते जमा कराने के पश्चात दिनांक 31.03.1999 को खातेदारी सनद जारी की गई। इस खातेदारी सनद के आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार पूगल द्वारा इंतकाल संख्या 44 दिनांक 30.04.1999 दर्ज किया गया। दानाराम पुत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दानाराम ने वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.07.1999 को मुरब्बा नम्बर 88/44 के किला नम्बर 1 ता 12 एवं किला नम्बर 13 के 10 बिश्वा कुल तादादी 12 बीघा 10 बिश्वा अपीलांट संख्या 1 को एवं शेष किला नम्बर 13 के 10 बिश्वा एवं किला नम्बर 14 ता 25 कुल तादादी 12 बीघा 10 बिश्वा अपीलांट संख्या 2 एवं 3 ता 5 के पति एवं पिता को विक्रय कर दिया तथा मौके पर उन्हे कब्जा सम्भला दिया। उक्त बैयनामा के आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार पूगल के द्वारा इंतकाल संख्या 46 दिनांक 27.07.1999 अपीलांटस के नाम से दर्ज कर दिया गया। उपनिवेशन तहसीलदार पूगल के इंतकाल संख्या 46 के विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 धम्मोंबाई द्वारा उपनिवेशन आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की गई, जो बाद में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर के यहां स्थान्तिरित की गई। न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर ने आदेश दिनांक 03.08.2011 अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 46 दिनांक 27.07.1999 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.04.2002 की तत्काल पालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय परित करें। उक्त आदेश दिनांक 03.08.2011 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 2 एस एस एम के मुरब्बा नम्बर 88/44 तादादी 25 बीघा दानाराम पुत्र सुवाराम को भूमिहीन के रूप में पुख्ता आंवटन किया गया था। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा दिनांक 31.03.1999 को खातेदारी सनद जारी की गई। इस खातेदारी सनद के आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार पूगल द्वारा इंतकाल संख्या 44 दिनांक 30.04.1999 दर्ज किया गया। दानाराम पुत्र सुवाराम ने वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.07.1999 को अपीलांट संख्या 1 एवं अपीलांट संख्या 2 ता 5 के पति एवं पिता को विक्रय कर दिया तथा मौके पर उन्हे कब्जा सम्भला दिया। उक्त बैयनामा के आधार पर उपनिवेशन तहसीलदार पूगल के द्वारा इंतकाल संख्या 46 दिनांक 27.07.1999 अपीलांटस के नाम से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में अपीलांटस ही काब्जा काश्त है। उपनिवेशन तहसीलदार पूगल के इंतकाल संख्या 46 के विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 धम्मोंबाई द्वारा उपनिवेशन आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की गई, जो बाद में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर के यहां स्थान्तिरित की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को विधि सम्मत दर्ज इंतकाल की अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। अधिनस्थ न्यायालय को बिना अपीलांट को सुने तथा बिना अपीलंट सं. 2 ता 5 को रेकार्ड पर लिए सुनवाई करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश भी पूर्णतयाः गलत, गैर कानूनी एवं क्षैत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट सं 2 ता 5 के पति एवं पिता भीराराम उर्फ बीराराम का स्वर्गवास हो चुका था। ऐसी स्थिति में अपील स्वतः अबैट हो चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त वादगत इंतकाल के संबंध में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपनी ओर से कोई विवेचना न कर केवल जो फर्जी तरीके से तथा बिना खातेदारी प्राप्त किये इन्तकाल संख्या 24, 25 के संबंध में जिक्र किया गया है, जबकि अपीलांट को विक्रय मूल खातेदार के द्वारा अपने आंवटित रकबा की किश्ते 1999 में जमा कराने के पश्चात खातेदारी दी गई है तथा खातेदारी का इंतकाल संख्या 44 दर्ज किया गया है, ऐसी स्थिति में पूर्व में बिना किश्ते जमा करवाए कैसे खातेदारी मिल गई तथा बिना खातेदारी प्राप्त किये किस आधार पर विक्रय हो गया इसके संबंध में तहसीलदार द्वारा जांच करने पर ही पता चला कि एसीसी छत्तरगढ़ के द्वारा कोई खातेदारी सनद जारी नहीं की जब खातेदारी सनद ही जारी नहीं हुई तो उक्त रकबे का विक्रय कैसे हो गया इन तथ्यों की ओर अधिनस्थ अदालत ने कतई गौर नहीं किया। अपीलाधीन आदेश गलत एवं गैर कानूनी होने के कारण किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.08.2011 निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री जगदीश शर्मा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का निर्णय एक पक्षीय नही है। अपील में सेवाराम वगैराह ने यह लिखा कि उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हुए और न ही अपील की सूचना इन्हे प्राप्त हुई, जबकि नरसाराम जाखड़ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस की थी। श्रीमान जिला कलक्टर ने पत्रावली पर सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया उसके बाद ही निर्णय पारित किया गया है। उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.04.2002 में दिये गये आदेश के अनुसार जांच नहीं हो जाती उस समय तक इंतकाल संख्या 24, 25 अस्तित्व में रहेंगे क्योकि उपनिवेशन तहसीलदार, पुगल का निर्णय खारिज कर दिया था। इसलिए पूर्व की स्थिति बहाल रहेगी। जिला कलक्टर, बीकानेर ने भी अपने निर्णय मे अधिनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर विधि सम्वत आदेश करने का लिखा है जिससे कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। वादग्रस्त कृषि भूमि चक 2 एस एस एम के मुरब्बा नम्बर 88/44 तादादी 25 बीघा भूमि संबंध में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2011 पारित किया। अतः अपील जिला कलक्टर बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर